

प्रतिवेदन

कार्य का नाम:-

चण्डाक बांस मोटर मार्ग के किमी 9.000 पोखरी से रतवाली (ततरोड़ा) तक मोटर मार्ग।

उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं० 782/जिलायोजना/2013-2014 दिनांक 08.01.2013 हेतु ₹ 13.00 लाख की प्राप्त है। प्रस्तावित मार्ग में राज्य भूमि 0.063 हे० नाप भूमि 0.100 हे०, वन पंचायत 0.28 एवं आरक्षित भूमि- 0.045 प्रभावित होती है।

उक्त मार्ग के निर्माण से निम्नलिखित रतवाली की 365 जनसंख्या लाभान्वित होगी। मार्ग निर्माण हेतु दो समरेखनों पर विचार किया गया वैकल्पिक समरेखन उपर्युक्त न होने के कारण प्रस्तावित समरेखन में प्रभावित होने वाली 0.955 हे० वन भूमि न्यूनतम है जो उपयुक्त समरेखन है।

अतः प्रस्ताव वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति उपरान्त मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव होगा। जिस हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं ताकि मार्ग का निर्माण कार्य किया जा सके।

सहायक अभियन्ता,
प्रांतीय स्वरोष लो० नि० वि० पिथौरागढ़।
पिथौरागढ़

अभिप्राय अभियन्ता
प्रांतीय स्वरोष लो० नि० वि० पिथौरागढ़।
पिथौरागढ़